वर्ष 1, अंक 5, सितंबर–अक्टूबर 2012

गुब्बारा

बच्चों का अपना अखबार

GIRLS NOT BRIDES

The Global Partnership to End Child Marriage

दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल विवाह रोकथाम विशेषांक

छोटी–सी उमर में परणाइज्यौ मती ना..

बाबुल छोटी–सी उमर में परणाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगाइज्यौ मती ना

मैं हूँ बाबुल थारै, बागाँ री चिड़कली
म्हानै बाल विवाह रै जाल में फँसाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगाइज्यौ मती ना

बाबुल छोटी–सी उमर में परणाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगााइज्यौ मती ना

मैं हूँ बाबुल थारै घर री रोशनी
म्हानै देय झपट्टौ, बुझाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगाइज्यौ मती ना

बाबुल छोटी–सी उमर में परणाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगाइज्यौ मती ना

मैं हूँ बाबुल थारै हिवड़ै रो हार
म्हाने तोड़ गलै सूँ, बगाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगाइज्यौ मती ना

बाबुल छोटी–सी उमर में परणाइज्यौ मती ना
म्हारी जिन्दगाणी रै कोढ़, लगाइज्यौ मती ना

नत्थूखां बागड़वा

राजस्थान की राज्यपाल माननीय मारग्रेट अल्वा ने उरमूल ट्रस्ट में बाल विवाह की परम्परा को जड़ से खत्म करने की पुरजोर पैरवी की।

दुनिया में हर रोज 37 हजार बालिकाएं, बाल विवाह का दंश झेलती हैं।

बाल विवाह समाप्त करने के लिए दुनिया एकजुट करने में लगा गर्ल्स नॉट ब्राइड्स

दुनिया भर में सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति बाल विवाह को समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर एक गठबंधन बनाया गया है। इस गठबंधन का नाम है ''गर्ल्स नॉट ब्राइडस'' यानी ''बालिकाएं बहू नहीं''। यह गठबंधन दुनिया भर में गांवों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से मिलकर बना है। वर्तमान में दुनिया के 40 देशों के 200 संगठन गर्ल्स नॉट ब्राइडस गठबंधन के सदस्य हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में काम करने वाली संस्था उरमूल ट्रस्ट और उसका परिवार भी इस गठबंधन की सदस्य है।

गर्ल्स नॉट ब्राइडस गठबंधन के सदस्यों का मानना है कि बालिकाओं को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, समाज और सरकार का कर्तव्य है। गठबंधन का प्रयास है कि पूरी दुनिया के लोग बालिकाओं को उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिये पूरे अवसर दें। उन्हें अच्छा भोजन दें, और उन सभी सामाजिक कुरीतियों को भुला दें जो बालिका विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। यह गठबंधन उन बच्चों का भी समर्थन करता है जो बाल विवाह का शिकार हुए।

GIRLS NOT BRIDES

The Global Partnership to End Child Marriage

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस :—दुनिया से बाल विवाह को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय, न्यूयार्क में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अपनी बात रखते संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, संयुक्त राष्ट्र संघ, महिला की कार्यकारी निदेशक मिशेल बेचिलेट, एल्डर्स प्रमुख डेसमंड टूटू और बांग्लादेश की महिला एवं बच्चों के मामलों की मंत्री शिरीन

40 लाख बालिकाओं की मदद कर रहा है ''बीकॉज आई एम ए गर्ल''

''बीकॉज आई एम ए गर्ल'' यानी क्योंकि में एक बालिका हूं, दुनिया भर में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और उनकी क्षमताओं के विकास के लिए काम करने वाली संस्थाओं और उनकी सहायता करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ''प्लान'' द्वारा मिलकर शुरू किया गया अभियान है। इस अभियान की मदद से 40 लाख बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनका लगातार क्षमतावर्धन किया जा रहा है। इससे उन्हें नये अवसरों में सफलता मिलेगी और वह गरीबी से आसानी से उभर सकेंगी।

इस अभियान के तहत निम्न बिंदुओं पर दुनिया भर में जोर दिया जा रहा है।

Plan

Because I am a Girl

1. बालिका शिक्षा को पूरी दुनिया में प्राथमिकता दी जाये।
2. सभी बालिकाएं गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी करना।
3. बालिकाओं की शिक्षा के लिये लोग ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें।
4. बाल विवाह पूरी दुनिया से समाप्त हो जाये।
5. स्कूल, घर, समुदाय में बालिकाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा खत्म हो।
6. समुदाय, घर-परिवार में होने वाले निर्णयों में बालिकाओं की भी पूरी भागीदारी हो।

बाल विवाह के कारण कई बालिकाएं बचपन में ही मां बन जाती हैं।

दुनिया घूम लोगों को जागरुक कर रहे हैं बच्चों के दोस्त–डेसमंड टूटू

डेसमंड टूटू का जन्म 7 अक्टूबर 1931 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। टूटू दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन शहर के आर्च बिशप हैं। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है। वह जहां भी जाते हैं बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं। उनके साथ खेलने लगते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना और क्रिकेट का मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। वह जब भी अपने घर पर खाली होते हैं तो क्रिकेट का मैच देखते हैं।

टूटू दुनिया के जाने-माने समाजसेवी हैं। उन्होंने रंगभेद, गुलामी प्रथा और आंतकवाद के विरुद्ध, दुनिया भर को अपनी बातों से प्रभावित किया है। दक्षिण अफ्रीका में महामारी के तरह फेले एड्स पर काबू पाने के लिए टूटू ने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी बातों से जागरूक किया। दुनिया भर में शांति और सद्भाव के लिए अपनी आवाज उठाने वाले टूटू को वर्ष 1984 में विश्व शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। टूटू अंतर्राष्ट्रीय संस्था "द एल्डर्स" के अध्यक्ष हैं। जिसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा गांधी जी के समान दर्जा प्राप्त करने वाले नेल्सन् मंडेला ने की है। विश्व शांति और सद्भाव के लिए बनी इस संस्था ने बाल विवाह को भी दुनिया में अशांति का कारण माना है।

दुनिया भर के दिग्गजों के साथ मिलकर टूटू अब पूरी दुनिया में घूमते हैं। लोगों से मिलते हैं और उन्हें बाल विवाह के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उसे रोकने के लिए निवेदन करते हैं। टूटू मानते है कि बाल विवाह सदियों से चली आ रही सामाजिक रीति है, लेकिन आपकी तरह ही उन्होंने भी इस सामाजिक रीति के दुष्प्रभावों को देखा है।

टूटू कहते हैं कि पहले जब वो लोगों से मिलते थे, तो लोग कहते थे कि वह बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं? यह तो उनके समाज की देन है लेकिन अब वही समाज बाल विवाह का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया है। टूटू चाहते हैं कि दुनिया में कोई गरीब और भूखा न हो। वह चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ स्कूल जायें, खूब खेलें और अच्छा भोजन करें।

बालिकाओं को शिक्षित करने से ही समाप्त होगा बाल विवाह

बाल विवाह दुनिया भर के सामने एक गंभीर मुद्दा है, और अब समय आ गया है कि हम इसके लिए हम जाग जाएं। बालिकाएं हमेशा से पिछड़ी रही हैं। कम उम्र में जबरन उनकी शादी करवा देना उनके लिए मौत बन रहा है। बाल विवाह के बाद उनका जीवन एक गुलाम की तरह रह जाता है। इस गुलामी में उनके अधिकारों का पूरी तरह से हनन होता है। उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी आजादी भी उनसे छीन ली जाती है। उनके साथ प्रतिदिन मानसिक, शारीरिक और यौन हिंसा होती है। पूरा जीवन भेदभाव से बीतता है। बाल विवाह के कारण उनका सभी प्रकार का विकास रुक जाता है।

बच्ची, जो अभी खेलना चाहती है लेकिन बाल विवाह के कारण एक दायरे में बंधकर रह जाती है। ज्यादातर महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हो रही है। इसका भी एक कारण बाल विवाह है। कम उम्र में मां बनना बहुत ही जोखिमपूर्ण है। इसी दौरान ज्यादातर बालिकाओं की मृत्यु हो जाती है। अगर बाल विवाह कि स्थिति इसी तरह रही तो यह निश्चित है कि आने वाले 10 सालों में 18 साल से कम उम्र की विवाहित बालिकाओं की संख्या 15 करोड़ से भी ज्यादा होगी। हम विकास की बात करते हैं तो हमें सबसे

पहले बाल विवाह रोकने को केन्द्र में रखकर विकास का ढ़ांचा तैयार करना होगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। बाल विवाह से लड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए ताकि उनमें समझ विकसित हो और वह यह जान सकें कि उनके लिए सही क्या है।

बान की मून, संयुक्त राष्ट्र महासचिव

उम्र से पहले गर्भवती होने पर बालिकाओं की मृत्यु की संभावना 5 गुना अधिक होती है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस–2012

सीख और हौसला अफजाई कर कि

11 अक्टूबर को मनाए गए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक संकल्प देखने को मिला। भारी संख्या में दुनिया भर में लोग बालिकाओं के लिए अभिशाप बन रहे बाल विवाह के खिलाफ एकजुट नजर आए।

जयपुर के सीफू हाल में उरमूल सेतु- लूणकरणसर, उरमूल सीमांत समिति- बज्जू, सेवा मंदिर संस्थान-उदयपुर और प्लान इंडिया ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया। इस समारोह में लूणकरणसर, बज्जू, और सेवा मंदिर के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जैतासर की लड़कियों न भी भाग लिया।

समारोह की शुरुआत बालिकाओं द्वारा गीत, बाबुल छोटी सी उमर में. ... गाकर की गई। बाल विवाह के दुष्प्रभावों को बतलाता यह गीत अतिथियों के मन को छू गया। इसके बाद बालिकाओं ने अपने क्षेत्र में बालिकाओं द्वारा निरंतर झेली झा रही परेशानियों से अतिथियों को

अगर लड़कियां शारीरिक रुप से मजबूत होंगी तो कोई उनका शोषण नही कर सकेगा। ऐसे में बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओ में भी कमी आयेगी। हमें दिल से मजबूत होना होगा। बालिकाओं के प्रति अभिभावकों को अपनी सोच बदलनी होगी। बालिकाओं की शादी पर होने वाले खर्च को उनकी पढ़ाई पर व्यय करने के लिए परिवार पर दबाव बनाना होगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

कृष्णा पूनिया, भारतीय एथलीट

पहले में पशु चराती थी। मेरे गांव मे उरमूल सेतु ने किशोरी मंच की शुरुआत की। मैं भी किशोर मंच से जुड़कर पढ़ाई करने लगी। इसी दौरान परिवार वालो ने शादी कि बात कही लेकिन मैने उसका पूरा विरोध कर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। दसवीं और बारहवीं करने के बाद बी.ए. और फिर एम.ए. की। अब मैने बी.एड. कर ली है।

सीता, खारबारा, लूणकरणसर

राजस्थान में बाल विवाह एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरे और समाज की रजामंदी से बड़ी संख्या में बाल विवाह संपन्न होना एक गंभीर समस्या भी है। यह बाल अधिकारों का हनन है। हम सबको इसे मिलकर रोकना है।

दीपक कालरा, अध्यक्ष
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

दुनिया भर में लड़कि
विवाह कर दिया जाता
सम्मेलन हुआ था। ब
दिग्गजों ने इस स
राजस्थान बहुत छोटी उ
और लगातार बढ़ता लिंग
भी गंभीर है। इसके ब
राज्य में बाल विवाह

बाल विवाह के कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें एनिमिया, टी.बी. और

र किया बालिकाओं का क्षमतावर्धन

अवगत कराया। लेकिन बालिकाओं ने यह भी कहा कि वह किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारेंगी। वह आगे बढ़ी हैं। अपने साथ ओरों को भी बढ़ायेंगी।

इस समारोह में कॉमनवेल्थ खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट कृष्णा पूनिया, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष दीपक कालरा, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राज्य सदस्य अरविंद ओझा, राजस्थान पुलिस अकादमी के उप निदेशक कमल शेखावत, सर्व शिक्षा अभियान की उप निदेशक निशा मीणा, प्लान इंडिया के राज्य समन्वयक राजीव नागपाल, यूनीसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ सुलग्ना रॉय, संचार विशेषज्ञ प्रियंका, उरमूल सेतु सचिव रामेश्वरलाल, उरमूल सीमांत से ज्ञानेंद्र श्रीमाली, सहित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करने वाले तमाम लोगों ने भाग लिया।

लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और इसके लिए आत्मविश्वास पैदा करना होगा। पैदा होने वाली हर लड़की का स्वागत करना होगा। हर महिला का सम्मान करना होगा और महिला के श्रम को अर्थ से जोड़ना होगा।

लाड कुमारी जैन
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष

लड़कियां कोई कठपुतली नही हैं। आप सब यहां आई हैं। आप शाला से वंचित बालिकाओं को, शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। मीना मंच की स्थापना से समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

निशा मीणा, उप निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान

बचपन में मेरी मम्मी की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। भाई स्कूल जाता था और मैं घर पर रहकर घरेलू काम करती थी। मैने सेवा मंदिर द्वारा लगाये गये शिविरों में पढ़कर शिक्षा प्राप्त की। आज में बी.ए. के साथ कंप्यूटर कोर्स भी कर रही है।

सूर्या धांगरा, उदयपुर

बालिकाओं ने गुब्बारे छोड़कर अपनी इच्छाओं आकाश का रुख दिया। उनका हौसला और अवसरों के लिये संवेदनशील लोग का सहयोग एक दिन उन्हें समानता के दर्जे पर लाकर खड़ा कर देगा।

लड़कियों से भेदभाव हो रहा है। एक करोड़ बालिकाओं का हर साल बाल ा जाता है। यह बाल अधिकारों का हनन है। पिछले साल इथोपिया में एक था। बाल विवाह को खत्म करने के लिए काम करने वाले दुनिया भर के इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत और खासतौर पर छोटी उम्र में ही बाल विवाह का मसला उठा। यह चिंता की बात है। दूसरी ता लिंगानुपात यह बताता है कि राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या का मामला इसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बताया गया है। जिसके बाद विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मामलों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास जारी हैं।

अरविंद ओझा
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। बाल विवाह से ग्रस्त बालिकाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं। उनकी पिटाई भी की जाती है।

रैली और नाटकों में निकली गूंज.. बाल विवाह; अभी नहीं – कभी नहीं

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उरमूल ट्रस्ट परिवार ने बाल विवाह रोकथाम के लिए राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले में ''गर्ल्स नॉट ब्राइड्स'' के अभियान को आगे बढ़ाया। जैसलमेर जिले में स्कूली बच्चों, युवाओं और महिलाओं के साथ एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जैसलमेर की जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी भाग लेकर बाल विवाह के विरोध में अपना समर्थन दिया।

बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक में उरमूल परिवार की संस्था उरमूल सीमांत समिति ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह वादा किया कि वह अपने गांव में जाकर बाल विवाह से होने वाली हानियों का प्रचार-प्रसार करेंगी और उन्हें जहां कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलेगी तो वे इसकी खबर तुरंत प्रशासन को देंगी।

बालिका दिवस पर उरमूल परिवार की गावणियार टीम ने भी गांवों में कई कार्यक्रम किए। बाल विवाह कानून पर आधारित रोचक नाटक के माध्यम से उन्होंने लोगों को बाल विवाह पर मिलने वाली सजा के बारे में ग्रामीणों को बताया। समाज में बालिका गरिमा स्थापित करने और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए भी एक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में उन गांव की बालिकाओं को ही नाटक का प्रशिक्षण देकर उनके गांव के समक्ष ही प्रस्तुति भी दी गई।

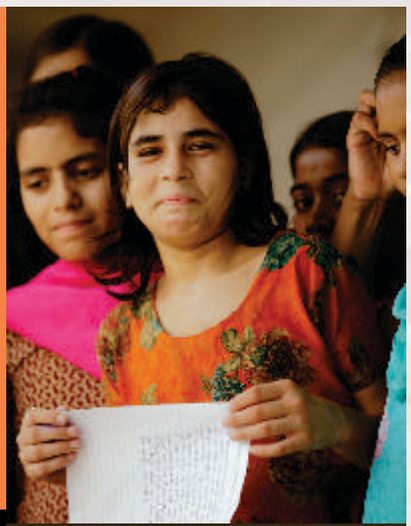

बाल विवाह सामाजिक विकास में बाधा के साथ-साथ कानूनी जुर्म भी है।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

क्र. स.	राज्य	बाल विवाह होने वाली महिलाओं का प्रतिशत
1	बिहार	68.2
2	राजस्थान	57.6
3	झारखंड	53
4	उत्तर प्रदेश	52.8
5	मध्य प्रदेश	52.7
6	आंध्र प्रदेश	51
7	कर्नाटक	50
8	छत्तीसगढ़	45
9	त्रिपुरा	44
10	महाराष्ट्र	40
11	असम	39.8
12	ओडिशा	38
13	गुजरात	37
14	मेघालय	36.7
15	सिक्किम	30
16	हरियाणा	29
17	मणिपुर	25
18	जम्मू और कश्मीर	25
19	अरुणाचल प्रदेश	25
20	दिल्ली	25
21	तमिलनाडु	25
22	मिजोरम	24.8
23	उत्तराखण्ड	20
24	गोवा	19.8
25	पंजाब	16
26	केरल	15.8
27	हिमाचल प्रदेश	9.1
भारत		42.9

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से इन राज्यों के जिलो में 2007-2008 में जिला स्तर घरेलू सर्वेक्षण किया गया। 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं पर किए गए इस सर्वे में यह बात सामने आई कि भारत की 100 में से 43 बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006

1. शादी के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर शादी के समय दोनों की उम्र इससे कम हुई या किसी एक की उम्र कम पाई जाती है तो ऐसी शादी बाल विवाह मानी जाएगी।

2. अगर किसी लड़की की शादी इस तय उम्र से कम में होती है तो वह न्यायालय में इस शादी की अमान्यता के लिए अपील कर सकता है। इस परिस्थिति में उसकी शादी अमान्य करार दी जाएगी।

3. अगर किसी लड़के की शादी बचपन में (21 वर्ष से पहले) करा दी जाती है, तो वह विवाह को अमान्य करार करवाने के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। इस परिस्थिति में लड़के का परिवार लड़की का खर्च तब तक वहन करेगा जब तक की उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती।

4. अगर बाल विवाह होने के बाद लड़की बच्चे को जन्म देती है, और वह विवाह न्यायालय में अमान्यता के लिए अपील में आता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस बच्चे की देखरेख के लिए किसी एक के परिवार (लड़के या लड़की) को जिम्मेदारी देगा।

5. कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और वह बाल विवाह में शामिल पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा मिलेगी। इसमें लड़की और लड़के का परिवार, रिश्तेदार, बाराती-घराती, टैंट वाला-बाजे वाला, हलवाई-ड्राईवर, पंडित और जो कोई भी शादी में शामिल होगा और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी दोषी माना जाएगा।

6. इस कानून के तहत हर क्षेत्र में एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होगी। जो यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कार्यक्षत्र में बाल विवाह नहीं होना चाहिए।

7. इस कानून के तहत न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है। जिससे अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह का पता चलता है तो वह न्यायालय में उस बाल विवाह को अमान्य करार करवाने के लिए अपील कर सकता है।

विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।

बाल विवाह रोकने में चाइल्डलाइन मुस्तैद

विकासशील देशों में आज भी बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक कुरीति है। इस पर पाबंदी लगाने के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार और उसके विभाग व विभिन्न स्वैच्छिक संस्था निरंतर प्रयास कर रही हैं। टेलीविजन पर आने वाले धारावाहिक, सिनेमा के साथ-साथ, नुक्कड़ नाटक, गीत, पोस्टर और अन्य शैक्षिक माध्यमों से लोगों को बाल विवाह के रोकथाम के लिए जागरुक किया जा रहा है। भारत में बच्चों के अधिकारों के सरंक्षण के लिये गठित बच्चों की फोन हेल्पलाइन, चाइल्डलाइन-1098 भी बाल विवाह को रोकने के लिये आमजन के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

यह किसी से नहीं छुपा है कि भारत में सबसे कम उम्र में विवाह राजस्थान में होते हैं। आजादी के 65 वर्ष बाद भी शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद कई राज्यों में आज भी बाल विवाह जैसी कुरीतियां समुदाय में मौजूद है।

बीकानेर जिले के कोलायत तहसील के गांव कोटड़ी में रामेश्वरलाल अपने परिवार के साथ रहता है। सामाजिक और पारिवारिक, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा के दबाव में आकर रामेश्वरलाल ने स्कूल जाने वाली अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। इस गांव में बीकानेर जिले में चाइल्डलाइन का संचालन करने वाली संस्था उरमूल ट्रस्ट ने चाइल्डलाइन से मदद लेने के लिये लोगों के साथ जागरुक कार्यक्रम किये थे। इसका फायदा चाइल्डलाइन सहित उन दोनों लड़कियों को भी मिला। गांव के एक व्यक्ति ने चाइल्डलाइन बीकानेर को 1098 पर फोन कर इस बाल विवाह के होने की सूचना दे दी।

चाइल्डलाइन बीकानेर को जब इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कोलायत तहसील के बाल विकास अधिकारी राम प्रसाद हर्ष और उपखण्ड अधिकारी अजयपाल ज्याणी को दी। बीकानेर चाइल्डलाइन के सब सेंटर बज्जू को भी जब इसकी सूचना मिली तो वह भी प्रशासन के साथ तुरंत कोटड़ी गांव में पहुंचे। जहां सभी ने मिलकर रामेश्वरलाल को बाल विवाह से होने वाली हानियों से अवगत कराया। इस बातचीत में अधिकारियों ने आस-पास के गांवों में बाल विवाह हुई लड़कियों की वर्तमान दशा का उदाहरण दिया।

इस बातचीत का यह असर निकला की रामेश्वरलाल मौके पर रोने लगा। उसने अपने इस कृत्य के लिये अपनी बेटियों से माफी मांगी और वादा किया कि वह बाल विवाह का बहिष्कार करेगा। चाइल्डलाइन सब-सेन्टर, बज्जू के समन्वयक विजेन्द्र कुमार ने इसके बाद लगातार कोटड़ी गांव में जाकर गांव के लोगों से बाल-विवाह के बारे में बातचीत की। साथ ही रामेश्वरलाल और उनकी दोनों बेटियों से भी मिले। दोनों ही बाल विवाह के रुक जाने से बहुत खुश थी।

इसी तरह से बीकानेर जिला सहित, राजस्थान के हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर और चुरु जिले में 28 बाल विवाह चाइल्डलाइन-1098 की मदद से रोके गये। चाइल्डलाइन कार्यकर्ताओं के अनुसार जिन बालिकाओं का विवाह चाइल्डलाइन की मदद से बचपन में ही होने से रुक गया, वे बालिकाएं लगभग हर महीने चाइल्डलाइन सेंटर पर फोन करके चाइल्डलाइन का धन्यवाद देती हैं।

संपादन - विपिन उपाध्याय, रवि मिश्रा।
संपादन सहयोग - ज्ञानेंद्र श्रीमाली, सुनील लहरी, रवि चतुर्वेदी। मुद्रक-अरोडा प्रिंटर्स, बीकानेर
उरमूल सीमांत समिति के लिए प्लान इंडिया के सहयोग से उरमूल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित। निजी वितरण हेतु।
उरमूल सीमांत समिति, पावर ग्रिड के पास, बज्जू, ब्लॉक- कोलायत, बीकानेर - 334305, फोन : 01535-232034
बीकानेर में संपर्क: उरमूल ट्रस्ट, उरमूल भवन। बीकानेर-334001 फोन : 0151-2523093, mail@urmul.org